न्यूज़ टुडे

भारत में घरेलू पेटेंट फाइलिंग पिछले 11 वर्षों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग से अधिक रही है

- पिछले **11 वर्षों में** पहली बार, भारतीय पेटेंट कार्यालय में **घरेलू पेटेंट** फाइलिंग की संख्या **अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग** की संख्या को पार कर गई है।
  - कुल मिलाकर, पिछले 7 वर्षों में पेटेंट की कुल फाइलिंग में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है।
  - **वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII)** में भारत की रैंकिंग सुधरकर वर्ष 2021 में 46वें स्थान पर पहुंच गई थी। वर्ष 2015–16 में भारत 81वें स्थान पर था।
- **घरेलू पेटेंट फाइलिंग में वृद्धि के कारण**
  - क्रिएटिव इंडिया और इनोवेटिव इंडिया के लिए **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति (2016)** घोषित की गयी है।
  - भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** लगातार प्रयास कर रहा है। यह विभाग बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है।
  - **बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता के लिए योजना** की घोषणा की गयी है।
  - विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में **पेटेंट की जांच में लगने वाले समय** को दिसंबर 2016 के 72 महीनों से घटाकर वर्तमान में 5–23 महीने कर दिया गया है।
  - पेटेंट के लिए **आवेदन शुल्क में छूट** दी जा रही है। **ऑनलाइन पेटेंट फाइलिंग पर 10% की छूट** दी गयी है। इसके अलावा स्टार्ट–अप, छोटी संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 80% शुल्क रियायत दी गयी है।
  - अन्य श्रेणियों के साथ–साथ स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के आवेदनों की त्वरित जांच की जा रही है।
  - नवाचार आदि को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक (I3) जारी करना आरंभ किया है।

- **शब्दावली**
  - **बौद्धिक संपदा से तात्पर्य मस्तिष्क की रचनात्मकता से है।** इसमें आविष्कार; साहित्यिक और कलात्मक कार्य; डिजाइन तथा वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम एवं चित्र शामिल हैं। बौद्धिक संपदा के उदाहरण हैं– पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क।
  - वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO), कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड (INSEAD) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक उपर्युक्त क्षेत्रों में नवाचारों का आकलन करता है। यह 81 अलग–अलग संकेतकों पर विभिन्न देशों में नवाचार तंत्र के प्रदर्शन को रैंक प्रदान करता है।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथी वार्षिक 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता वाशिंगटन में आयोजित की गई

- '2+2 वार्ता' **भारत एवं उसके सहयोगी देशों के विदेश व रक्षा मंत्रियों** की एक प्रकार की बैठक है। इसमें सामरिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
- **वार्ता के मुख्य निष्कर्ष**
  - **समुद्री सहयोग:** दोनों देश वर्ष 2023 में भारत की सह–मेजबानी में इंडो–पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस (IPACC) और **इंडो–पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार (IPAMS)** के आयोजन के लिए उत्सुक हैं।
  - व्यापार: दोनों देशों ने **भारत–यू.एस. व्यापार नीति मंच (TPF)** की 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक और **वर्किंग ग्रुप चर्चाओं के नवीनीकरण** का स्वागत किया। ये कदम द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने, बाजार पहुंच बाधाओं को दूर करने और व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।
  - अंतरिक्ष: दोनों देशों के उपग्रहों की सुरक्षा के लिए **स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस (SSA) पर समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर किए गए।
    - नासा–इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) उपग्रह पर भी चर्चा की गयी। इसे वर्ष 2023 में भारत से लॉन्च किए जाने की योजना है।

  - **रक्षा में सहयोग के नए क्षेत्र:** भारत–अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह (JTG) में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके अलावा अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर जैसे नए रक्षा क्षेत्रों में भी सहयोग विकसित करने पर चर्चा हुई।
    - **LEMOA (लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) सहित रक्षा साइबर और विशेष बलों के क्षेत्र में सहयोग** पर सहमति प्रकट की गई।
    - **रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI)** को पुनर्जीवित करने पर भी विचार किया गया। इसमें अत्याधुनिक, नई उभरती और अति महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त परियोजनाएं शामिल हैं।
  - **वैश्विक स्वास्थ्य:** USAID (यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट) समर्थित कोविड–19 लर्निंग का विस्तार करने पर भी चर्चा हुई।

VISION IAS

गर्मी की शुरुआत के साथ पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में जल स्तर में गिरावट देखी जा रही है

- केंद्रीय जल आयोग (CWC) के आंकड़ों से पता चलता है कि **पश्चिमी क्षेत्र का जल स्तर** पिछले वर्ष (2021) की तुलना में 2.2 प्रतिशत कम है।
  - पश्चिमी क्षेत्र के लिए भंडारित जल में गिरावट मुख्य रूप से गुजरात में कम भंडारण के कारण है। गुजरात में इस वर्ष 7.54 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) जल का भंडार है। पिछले वर्ष यह 8.32 BCM था।
  - **पूर्वी क्षेत्र में ओडिशा में जल स्तर में गिरावट** देखी गयी है। वहां वर्तमान में 6.48 BCM जल भंडार है। यह पिछले 10 वर्षों में औसत 7.25 BCM था।
  - वर्ष 2022 में, जिन **7 परियोजनाओं में जल की कमी देखी गई, वे हैं–**
    - कर्नाटक में तट्टीहल्ला,
    - ओडिशा में मचकुंड (जलपुट) और अपर कोलाब,
    - राजस्थान में जवाई बांध तथा
    - गुजरात में वात्रक, हाथमती व ब्राह्मणी।

उत्तर, दक्षिण और मध्य क्षेत्र में अधिक जल भंडारण

बिलियन क्यूबिक मीटर में

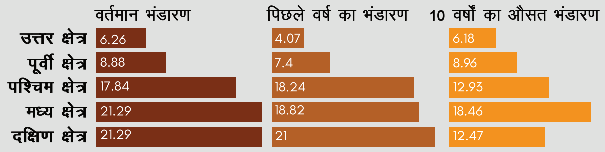

7 अप्रैल, 2022 की डेटा के आधार पर

स्रोत: केंद्रीय जल आयोग

- **जल की कमी को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम**
  - जल शक्ति अभियान (JSA): इस अभियान को वर्ष 2019 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य जल की कमी वाले ब्लॉकों में भूजल की स्थिति सहित पानी की उपलब्धता में सुधार करना है।
  - **राष्ट्रीय जल नीति, 2012** जारी की गई है। यह वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर बल देती है।
  - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत **केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA)** का गठन किया गया है। यह भूजल विकास एवं प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करता है।
  - सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के सतत प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना (ABHY) आरंभ की गई है।

> जल संकट को **पानी की कमी या सुरक्षित जल आपूर्ति** के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह **जल की भौतिक कमी,** नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में संस्थानों की विफलता या पर्याप्त अवसंरचना की कमी के कारण होता है।

वर्ष 2021–22 में 96,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति का मुद्रीकरण किया गया

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2021–22 में **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के तहत 96,000 करोड़ रुपये का लेनदेन पूरा कर लिया है।** इस प्रकार सरकार ने इस वर्ष के लिए निर्धारित 88,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर लिया है।
- NMP की घोषणा केंद्रीय बजट 2021–22 में की गई थी। **नीति आयोग को इसे विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।**
  - **NMP, कोर परिसंपत्तियों (Core Assets) के मुद्रीकरण के लिए एक सामान्य रूपरेखा विकसित करने में मदद** करेगी।
    - कोर परिसंपत्तियां किसी संस्था के व्यावसायिक उद्देश्यों के केंद्र में होती हैं। ये जनता तथा उपयोगकर्ताओं को अवसंरचना सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती हैं।
  - कोर परिसंपत्ति मुद्रीकरण की रूपरेखा में तीन प्रमुख शर्तें हैं:
    - अधिकारों का मुद्रीकरण किया जायेगा, स्वामित्व का नहीं।
    - ऐसी ब्राउनफील्ड जोखिम रहित परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाएगा, जिनके पास आय के स्थाई स्रोत हैं।
    - परिभाषित समझौतापरक रूपरेखा के तहत संरचित भागीदारी।

> **एक सुनियोजित परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम**
> - **इसकी योजना निम्नलिखित के संबंध में बनायी गयी है:**
>   - निवेशकों के बीच अत्यधिक रुचि वाली परिसंपत्ति का मुद्रीकरण करना;
>   - परिसंपत्ति के मुद्रीकरण से अर्जित आय को नागरिकों की इच्छा के अनुसार संपत्ति/सेवाओं में फिर से निवेश करना।
> - **यह नई परिसंपत्ति के निर्माण में मदद करता है:**
>   - यह कार्य अनिवार्य रूप से कर्ज के स्तर या करों को बढ़ाए बिना या अन्य लोक सेवाओं/कल्याणकारी गतिविधियों से संसाधनों का पुनःआवंटन किये बिना किया जाता है।
> - यह दक्षता लाभ, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन की बेहतर निगरानी **को लक्षित करता है।**
> - **यह एक परिसंपत्ति वर्ग की अवसंरचना में निवेश के अवसरों, गहनता और तरलता** (लिक्विडिटी) को बढ़ाता है।
>   - इस प्रकार यह वास्तव में विशेष निवेशक वर्गों (अर्थात घरेलू और विदेशी पेंशन फंड आदि) को प्रभावशाली रूप से प्रोत्साहित करता है।

  - **वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत हैं**– बजटीय स्रोत (केंद्रीय और राज्य बजट), निजी या अतिरिक्त बजटीय स्रोत तथा वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोत।
- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण** परिसंपत्ति को आर्थिक मूल्य में बदलने की प्रक्रिया है।
  - यह सरकार की गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का एक घटक है।
  - इसमें **सुगठित साधनों और तंत्रों के माध्यम से निजी क्षेत्र या संस्थागत निवेशकों को सार्वजनिक अवसंरचना प्रदान करना** शामिल है।

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) के नेतृत्व में अंतर–मंत्रालयी समन्वय समूह (IMCG) की पहली बैठक आयोजित हुई

- भारत के **अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संपर्क पर अंतर–मंत्रालयी समन्वय समूह (IMCG)** की पहली बैठक भारतीय विदेश सचिव की अध्यक्षता में हुई थी।
  - इस पहल में **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के सभी सदस्य देशों के साथ–साथ म्यांमार भी** शामिल है।
  - **इसमें निम्नलिखित विषयों पर बल दिया गया है:**
    - नेपाल के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सीमा पार अवसंरचना का निर्माण,
    - बांग्लादेश के साथ रेल संपर्क का विस्तार करना,
    - भूटान और मालदीव की विशेष जरूरतों को पूरा करना,
    - **अफगानिस्तान एवं म्यांमार** को मानवीय सहायता प्रदान करना तथा
    - **श्रीलंका** के साथ मछुआरों और मत्स्यन से जुड़े मुद्दों का समाधान करना।
- अंतर–मंत्रालयी समन्वय समूह को एक उच्च स्तरीय (सचिव स्तर) तंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। यह भारत की **'पड़ोसी देश प्रथम' नीति को मुख्यधारा में लाने** की दिशा में कार्यरत है।
  - IMCG को **अंतर–मंत्रालयी संयुक्त कार्य बल (JTF)** सहयोग प्रदान करता है। इस कार्य बल को विदेश मंत्रालय में संबंधित संयुक्त सचिवों द्वारा आहूत किया जाता है।
  - **IMCG सरकार के सभी स्तरों पर संस्थागत समन्वय में सुधार** करेगा। साथ ही, यह सर्व–सरकारी दृष्टिकोण (सरकार के मंत्रालयों, विभागों आदि द्वारा निष्पादित संयुक्त गतिविधियों) को व्यापक दिशा भी प्रदान करेगा।
  - इसका उद्देश्य भारत के उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत अंतर–संपर्क और लोगों के मध्य जुड़ाव को बढ़ावा देना है।
- **सार्क (SAARC) दक्षिण एशिया के आठ देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है।**
  - इसे **वर्ष 1985 में स्थापित** किया गया था। इसकी स्थापना **बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका** द्वारा औपचारिक रूप से चार्टर को अपनाने की साथ हुई थी।
  - **अफगानिस्तान वर्ष 2007 में इसमें 8वें सदस्य** के रूप में शामिल हुआ था।

'स्वनिधि से समृद्धि' कार्यक्रम का अतिरिक्त 126 शहरों में विस्तार किया गया

- 'स्वनिधि से समृद्धि' कार्यक्रम स्ट्रीट वेंडर्स (पथ विक्रेताओं) हेतु शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम उनके **समग्र विकास और सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ** प्रदान करता है।
  - 'स्वनिधि से समृद्धि', **पीएम स्वनिधि/SVANidhi (प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि) की एक अतिरिक्त योजना है।** इसे जनवरी 2021 को 125 शहरों (चरण–1) में शुरू किया गया था। इस चरण में लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को शामिल किया गया था।
  - चरण–1 की सफलता को ध्यान में रखते हुए **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने योजना का विस्तार** शुरू किया। इसके तहत वित्त वर्ष 2022–23 में कुल 20 लाख योजनागत स्वीकृतियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही, 28 लाख स्ट्रीट **वेंडर और उनके परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य** रखा गया है।
  - **भारतीय गुणवत्ता परिषद इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन भागीदार है।**
- **'स्वनिधि से समृद्धि' योजना के लाभ**
  - योजना के तहत वेंडर **10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण के रूप** में प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि को एक वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है।
  - ऋण के नियमित भुगतान पर **7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी** प्रदान की जाती है।
  - ऋण की **शीघ्र चुकौती पर कोई शुल्क नहीं है।**
  - डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रति माह 100 रुपये तक की राशि कैशबैक प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है।
  - यदि वेंडर ऋण को समय पर या समय से पहले चुकाते हैं, तो वे निर्धारित राशि से **अधिक ऋण प्राप्ति की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।**
- पीएम स्वनिधि जून 2020 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को एक **किफायती कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करना है।**
  - **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक** (SIDBI) इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।

अन्य सुर्खियाँ

केंद्रीय सलाहकार परिषद (CAC)

- हाल ही में, CAC ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा/RERA) के कार्यान्वयन, नियमों में संशोधन तथा RERA को मजबूत करने से संबंधित अनेक मुद्दों पर विचार–विमर्श किया है।
  - CAC की बैठक **वर्ष में कम से कम एक बार** आयोजित की जाती है।
- **CAC के बारे में:** इसका गठन RERA की **धारा 41 के तहत** किया गया है। इसकी अध्यक्षता अन्य प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आवासन मामलों से संबंधित मंत्री करते हैं।

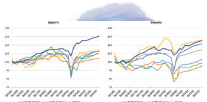

विश्व व्यापार संगठन (WTO) का ग्लोबल ट्रेड मॉडल (GTM)

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने अपने GTM के आधार पर **वर्ष 2022 के लिए वैश्विक व्यापार पूर्वानुमान को 4.7 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया है।** WTO ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के कारण ऐसा किया है।
  - विश्व व्यापार संगठन **GTM का उपयोग वैश्विक व्यापार अनुमानों को सृजित** करने लिए करता है। साथ ही, वैश्विक तथा राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला के **मध्यम और दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन** करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
- विश्व व्यापार संगठन को वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था। **यह राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से जुड़े मुद्दों का निपटान करने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।**

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP)

- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) एक अखिल भारतीय बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य **नए औद्योगिक शहरों को 'स्मार्ट शहरों' के रूप में विकसित करना है। साथ ही, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में समाहित करना है।**
  - इसमें 11 एकीकृत औद्योगिक और आर्थिक गलियारों के तहत **32 परियोजनाएं** शामिल हैं। जैसे दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC), अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC) इत्यादि।
- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम **(NICDC) एक विशेष प्रयोजन वाहन है। यह NICDP के विकास** के साथ–साथ रोजगार सृजन और समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास में भी मदद करता है।

डोर्नियर (Do–228) एयरक्राफ्ट फ्लाइट

- **नागर विमानन मंत्रालय** ने भारत में निर्मित डोर्नियर–228 की **पहली वाणिज्यिक उड़ान को रवाना किया।**
  - Do–228 को **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)** ने निर्मित किया है। HAL ने इसे सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी अलायंस एयर को सुपुर्द कर दिया है।
  - **अलायंस एयर** नागरिक संचालन के लिए भारत में निर्मित विमान उड़ाने वाली पहली व्यावसायिक विमानन कंपनी बन गई है।
  - विमान **अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज के पांच शहरों को असम के डिब्रूगढ़ से जोड़ेगा।** इससे देश के उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में हवाई संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
- यह सरकार की **'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) क्षेत्रीय संपर्क योजना का हिस्सा है।**

एक साथ दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने **छात्रों को भौतिक मोड में एक साथ दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति** प्रदान कर दी है। UGC ने इस संबंध में अपने **नवीन दिशा–निर्देश** जारी किये हैं।
  - छात्र अपने लिए **या तो एक डिप्लोमा कार्यक्रम और एक स्नातक डिग्री अन्यथा दो मास्टर कार्यक्रम या दो स्नातक कार्यक्रमों का संयोजन चुन सकते हैं।**
- इन दिशा–निर्देशों को अपनाना विश्वविद्यालयों के लिए वैकल्पिक है। इन्हें विश्वविद्यालयों के वैधानिक निकायों के अनुमोदन के बाद ही लागू किया जा सकता है।
- **यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप है।** यह नीति सीखने के लिए कई माध्यमों को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता पर बल देती है।

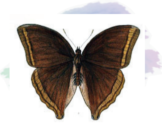 **पामकिंग तितली**	❍ तमिलनाडु में **पहली बार दुर्लभ तितली पामकिंग** को देखा गया है। ❍ **पामकिंग के बारे में** ➢ भूरा रंग और शरीर पर गहरे रंग की धारियां इसकी प्रमुख विशेषता है। ➢ यह एकांतवासी जीव है। यह ज्यादातर छाया में आराम करती है। ➢ इसके लकड़ी के रंग वाले पंख इसके छलावरण को आसान बनाते हैं। ➢ यह शायद ही कभी अपने पंख फैलाती है। ➢ सामान्यतः **यह भोजन के लिए नारियल के वृक्ष पर आश्रित होती है।**
 व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस	❍ आगरकर अनुसंधान संस्थान (ARI) के वैज्ञानिकों ने एक नैदानिक उपकरण विकसित किया है और उसका पेटेंट करवाया है। यह उपकरण **व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (WSSV) का पता लगाने में सक्षम है।** ARI, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संस्थान है। ❍ **WSSV** ➢ यह क्रस्टेशियाई जीवों का DNA आधारित अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण रोग है। यह संवर्धित (cultured) झींगों में उच्च मृत्यु दर का कारण बन सकता है। ➢ यह वायरस केवल क्रस्टेशियाई जीवों (झींगे, लॉबस्टर और केकड़े आदि) को संक्रमित करता है। किसी अन्य ज्ञात वायरस से इसका संबंध प्रकट नहीं हुआ है। ➢ वर्तमान में इस बीमारी को **अनियंत्रित होने और फैलने से रोकने के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है।**
 उत्सव पोर्टल	❍ **पर्यटन मंत्रालय** ने अमृत समागम सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया। ➢ उत्सव पोर्टल वेबसाइट एक **डिजिटल पहल है।** इसका लक्ष्य **देश के विभिन्न क्षेत्रों को विश्व भर में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने** के लिए संपूर्ण भारत में सभी कार्यक्रमों, त्यौहारों एवं लाइव दर्शन को प्रदर्शित करना है। ❍ इसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के कार्यक्रमों और त्योहारों के विभिन्न पहलुओं, तिथियों एवं विवरण को दिखाना है। साथ ही, समारोह की आकर्षक तस्वीरों के रूप में पर्यटकों को प्रासंगिक डिजिटल अनुभव प्रदान कर जागरूकता सृजित करना, आकर्षण बढ़ाना और भारत यात्रा का अवसर उपलब्ध कराना है।
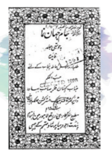 **मिरात–उल–अखबार**	❍ मिरात–उल–अखबार भारत की पहली फारसी भाषा में प्रकाशित पत्रिका थी। इसे राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। इसे पहली बार **12 अप्रैल 1822** को प्रकाशित किया गया था। ➢ इसका प्रकाशन साप्ताहिक आधार पर शुक्रवार को किया जाता था। ➢ इस पत्रिका के प्रकाशन को वर्ष 1823 में प्रेस के लिए लाइसेंसिंग विनियमों के तहत **प्रतिबंधित** कर दिया गया था। ❍ राजा राम मोहन राय के अन्य योगदान: हिंदू कॉलेज (1822) व ब्रह्म समाज (1828) की स्थापना, **सती प्रथा एवं बाल विवाह** के खिलाफ संघर्ष आदि।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी